

[1/4]

एम एम टी सी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय

सतर्कता प्रभाग

परिपत्र

एफ. सं. 10/348/25-सत./576

दिनांक: 18 अगस्त, 2025

विषय: वीएडब्ल्यू-2025 की प्रस्तावना के रूप में सतर्कता कार्यक्रम शुरू करने के लिए 3 महीने की अभियान अवधि के दौरान इगोट (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को निर्देश- तत्संबंधी।

संदर्भ: सतर्कता प्रभाग का समसंख्यक परिपत्र. दिनांक: 12.08.2025

दिनांक 12.08.2025 के समसंख्यक सतर्कता प्रभाग परिपत्र के क्रम में, यह आगे सूचित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 04.08.2025 दिनांक 01.08.2025 के अनुलग्नक-ए के बिंदु संख्या 3 के अनुसार, सभी संगठनों को (ए) मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और (बी) मास्टर द्वारा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एकीकृत सरकारी प्रशिक्षक/प्रशिक्षण संस्थान/अन्य संसाधन द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच पर संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

2. तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी के साथ यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पहल का हिस्सा होने के नाते आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाए:

क्रम सं.	नामित अधिकारियों का नाम	आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
1.	श्री केके पॉल, म.प्र. आई/सी भुवनेश्वर/कोलकाता	भारत सरकार का सार्वजनिक खरीद ढांचा, जीईएम(GeM) की खरीद और आईजीओटी पर कोई अन्य 02 प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
2.	श्री अरबिंद हेंब्रम, म.प्र. (विपणन एवं प्रशासन)	वस्तुओं की सार्वजनिक खरीद, जीईएम(GeM) पर खरीद और जीईएम(GeM) पर पूर्व-खरीद और आईजीओटी पर अन्य 02 और प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
3.	श्री एम के मिश्रा, म.प्र. (संपदा)	संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति और खरीद संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति और जीईएम(GeM) पर

		खरीद और आईजीओटी पर कोई 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
4.	श्री अभय कुमार, म.प्र. (विपणन)	जीईएम(GeM) पर भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद ढांचा और आईजीओटी पर कोई 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
5.	श्री वी एस एन राव, म.प्र. (सतर्कता)	आई और आर, आरोप पत्र तैयार करना, आचरण नियम, सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा आयोजित करना, आईजीओटी पर कोई 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
6.	श्री ई मल्लावरणन, अ.म.प्र. /प्रभारी, चेन्नई	डीओई/जीएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार माल की खरीद, जीईएम(GeM) पर खरीद और आईजीओटी पर कोई 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
7.	श्री अर्णव चकमा, अ.म.प्र. (का. व विधि)	आचरण नियम, सेवाओं की खरीद (परामर्श/गैर-परामर्श), जीईएम(GeM) पर खरीद और आईजीओटी पर कोई 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
8.	श्री धनंजय वासनिक, अ.म.प्र., मुंबई	व्यवहारिक प्रभार, जीईएम(GeM) पर खरीद और आईजीओटी पर कोई 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
9.	श्री राजेश सी चौधरी, अ.म.प्र. (सिस्टम्स)	ग्राहकों/हितधारकों के लिए डिजिटल सेवाओं का नया क्षेत्र, सीसीएमयू, गीगा, 3.0
10.	सुश्री पल्लवी कुमार, उ.म.प्र. (विपणन)	आईजीओटी पर एकीकरण, नैतिकता कोई भी अन्य 02 प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
11.	सुश्री रजनी श्रीनाथ, उ.म.प्र. (वि.व ले.), / प्रभारी, बंगलुरु	जीईएम(GeM) पर खरीद और कोई दो प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
12.	श्री आशीष चटर्जी, उमप्र (सिस्टम्स), भुवनेश्वर	जीईएम(GeM) पर साइबर स्वच्छता खरीद और आईजीओटी पर 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
13.	सुश्री भावना काबरा, उमप्र (पीएमडी)	जीईएम(GeM) पर खरीद और 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
14.	श्री अरूप राय मुखर्जी, उमप्र (वित्त व लेखा) भुवनेश्वर	जीईएम(GeM) पर खरीद और 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
15.	श्री अनूप गुप्ता, उमप्र (वित्त व लेखा),	जीईएम(GeM) पर खरीद और आईजीओटी पर 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
16.	श्री मनीष काला, उमप्र (मिनिरल्स)	वस्तुओं की सार्वजनिक खरीद और आईजीओटी पर कोई 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
17.	श्री एमजी बालकावड़े, उमप्र, मुंबई	सेवाओं की खरीद और जीईएम(GeM) पर खरीद और 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
18.	श्री मुग्धा अग्रवाल, मु.प्र., मुंबई	जीईएम(GeM) पर नैतिकता, सत्यनिष्ठा, व्यवहार परिवर्तन की खरीद और आईगोट पर कोई 2 अन्य प्रासंगिक

		पाठ्यक्रम।
19.	श्री आचल मीणा, मुप्र (एग्रो)	वस्तु की सार्वजनिक खरीद और आईजीओटी पर कोई 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
20.	श्री वी श्रीनिवास राव, मुप्र (वित व लेखा) विजाग	आईएनडी-एस, आई एंड आर, जीईएम(GeM) पर खरीद और कोई 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
21.	श्री टी. परधासारथी, वरि.प्र. चेन्नई	आई एंड आर, आचरण नियम, सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा आयोजित करना और जीईएम(GeM) पर खरीद।
22.	सुश्री निरजा त्रिपाठी, वरि. प्रबंधक/सतर्क. का.	आई एवं आर, जीईएम(GeM) पर खरीद, और आईजीओटी पर कोई 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
23.	श्री आई आर चौधरी, वरि प्रबंधक (सिस्टम्स) /सतर्क. का.	आई एवं आर, जीईएम(GeM) पर सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा और खरीद का संचालन करता है।
24.	श्री चेतन नायक, वरि. प्रबंधक/वीओ, मुंबई	परिसंपत्ति प्रबंधन, आई एंड आर, जीईएम(GeM) पर सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा और खरीद का संचालन करता है।
25.	श्री विपिन सहदेव, वरि. प्रबंधक (वित व लेखा)	आईएनडी-एस, आई एंड आर, जीईएम(GeM) पर खरीद और कोई 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
26.	श्री प्रवीण श्रीवास्तव, वरि. प्रबंधक (सिस्टम्स)	सीएमयू/साइबर स्वच्छता/जीआईडीडब्ल्यू 3.0 आईजीओटी पर 2 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रमों का अनुपालन करते हैं।
27.	श्री के के टोप्पनो, वरि.प्र./वीओ	नैतिकता, सत्यनिष्ठा, आचरण नियम, जीईएम(GeM) पर खरीद और आईजीओटी पर कोई 02 अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रम।

3. उपर्युक्त कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे एनआईसी डोमेन नाम के साथ अपने एमएमटीसी निर्दिष्ट ईमेल आईडी का उपयोग करके आईजीओटी कर्मयोगी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल पंजीकृत करें। उदाहरण के लिए नियमित ईमेल आईडी abcd@mmtclimited.com के लिए। आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर टाइप की जाने वाली यूजर आईडी abcd.mmtc@nic.in होगी और अभियान अवधि के दौरान उपर्युक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करना होगा; 18.08.2025 से 31.10.2025 तक कर्मचारी द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, पाठ्यक्रम पूरा होने का एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाए जिसे आगे के अनुपालन के लिए सतर्कता प्रभाग को प्रस्तुत किया जाए।

4. इसके अलावा, एमएमटीसी की पंजीकृत ईमेल आईडी वाले अन्य सभी अधिकारी (अधिकारी और कर्मचारी) भी आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं और ऊपर पैरा-3 में निर्धारित समान प्रक्रिया का पालन करके कम से कम 1 या 2

[4/4]

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कर सकते हैं, अभियान अवधि यानी 18.08.2025 से 31.10.2025 के दौरान पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति सतर्कता प्रभाग को जमा करें।

5. उपरोक्त सूचीबद्ध कर्मचारियों में से पाठ्यक्रमों की संख्या के आधार पर मास्टर ट्रेनर की एक सूची तैयार की जाएगी जिसे अलग से वितरित किया जाएगा। इसके बाद मास्टर ट्रेनर अन्य सभी कर्मचारियों के लिए सीवीसी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे

6. उपरोक्त समेकन के अलावा सतर्कता प्रभाग आंतरिक/आउटरीच कार्यक्रमों के लिए बाहरी विशेषज्ञों/इन-हाउस प्रशिक्षकों के माध्यम से विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू करेगा।।

7. चूंकि सीवीसी अनुपालन अनिवार्य है, इसलिए सभी मंडल प्रमुखों/कैंप कार्यालय प्रमुखों और सतर्कता अधिकारियों से सहयोग बढ़ाने और सीवीसी दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(वीएसएन राव)

महाप्रबंधक (सतर्कता)

प्रति:

1. सीएमडी का का.स., एमएमटीसी लिमिटेड।
2. सीवीओ के निजी सचिव
3. निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार, एमएमटीसी ।
4. का.का. के सभी प्रभाग प्रमुख एवं सभी कैम्प कार्यालय प्रमुख।
5. नोटिस बोर्डस।
6. एजीएम (सिस्टम) - सर्कुलर को इंटरनेट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

